

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 240]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 1973, आश्विन 6, 1895

No. 240]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 1973, ASVINA 6, 1895

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जा रही हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 28th September 1973

G.S.R. 456(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 97/62-Central Excises, dated the 2nd June, 1962, the Central Government hereby exempts parts of refrigerating and air-conditioning appliances and machinery, all sorts [falling under sub-item (3) of Item No. 29-A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and used in the factory of production in the manufacture of refrigerators or air-conditioners or refrigerating or air-conditioning appliances, falling under sub-item (1) or sub-item (2) of the said Item No. 29-A, on which the duty of excise is leviable, whether in whole or in part] from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that where indigenous or imported parts, falling under sub-item (3) of the said Item No. 29-A and received from outside the factory, are used in the manufacture of refrigerators, air-conditioners and other refrigerating and air-conditioning appliances falling under sub-item (1) or sub-item (2) of the said Item No. 29-A, such goods falling under the said sub-item (1) or sub-item (2) shall be exempted from so much of the duty of excise leviable thereon, as is equivalent to the amount of the duty of excise, or the additional duty under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (1 of 1934), paid on such parts.

[No. 186/73(C-E)]

S. K. GHOSHAL, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1973

सं० का० नि० 456(ख०).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 97/62—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 जून, 1962 को अधिकांश करने हुए [केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 29-क के उपमद (3) के अन्तर्गत आने वाले तथा उक्त मद सं० 29-क के उपमद (1) या (2) के अन्तर्गत आने वाले प्रशीतकों और वातानुकूलकों या प्रशीतन या वातानुकूलन साधित्रों, के विनिर्माण के उत्पादन कारखाने में प्रयुक्त, जिनपर पूर्णतः या भागतः उत्पादन-शुल्क उद्ग्रहणीय है] प्रशीतन और वातानुकूलन साधित्रों और सब प्रकार के यन्त्रों के पुर्जों को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पादन-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु जब कि उक्त मद सं० 29-क के उप-मद (3) के अन्तर्गत आने वाले और कारखाने के बाहर से प्राप्त किए गए देशी या आयातित पुर्जे उक्त मद 29-क की उप-मद (1) के या उप-मद (2) के अन्तर्गत आने वाले प्रशीतकों, वातानुकूलकों और प्रशीतन और वातानुकूलन साधित्रों में प्रयुक्त होते हैं, तब उक्त उप-मद (1) या उप-मद (2) के अन्तर्गत आने वाली ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की उतनी रकम की छूट दी जाएगी जितनी भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 1) की धारा 2क के अधीन उन पुर्जों पर उत्पाद-शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के रूप में संदत्त रकम के द्वारा हो।

[सं० 186/73-सी० ई०]

एस० के० घोषाल, अवर सचिव।